न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 33/2016

पंजीयन दिनांकः 08.09.2016

1. भगवतीलाल पिता चुना जाति ढोली निवासी करसाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
2. बगदीराम पिता चुना जाति ढोली निवासी करसाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3. कैलाश पिता चुना जाति ढोली निवासी करसाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टगण

बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

नारायणसिंह मुत्तबन्ना उदयसिंह जाति राजपुत निवासी करसाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला प्रकरण संख्या 08/2012 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.07.16

उपस्थित वक्त बहस
1. सम्पत कुमार जणवा– अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. मदन त्रिपाटी –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 28.10.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा करसाना तहसील डूंगला की खाता सं. 256 मे अन्य कृषि आराजीयात के अलावा आराजी नम्बर 390 व 391 अपीलान्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी व आधिपत्य की है। आराजी नम्बर 390 व 391 आपस मे मिली हुई है। शेष कृषि आराजीयात इनसे अलग होकर दुर-दुर है। अपीलार्थीगण प्रार्थीगण वर्षो से आराजी नम्बर 390 व 391 पर दक्षिणी दिशा मे स्थित रेस्पोडेन्ट की आराजी नम्बर 403 के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर होते हुए आम रास्ते पर पहूॅचते है और यही उनकी कृषि आराजीयात के आवागमन का एक मात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टगण प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजीयात पर पैदल व बेलगाडी के द्वारा आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसी रास्ते से होते हुए अपीलान्टगण अपनी आराजी नम्बर 390 व 391 पर हल बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य कृषि उपकरण लाते व ले जाते है तथा कृषि ऊपज की बोवाई सारसंभाल एवं कृषि पैदावार को लाने ले जाने के काम लेते रहे है। राजस्व जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस मे उक्त रास्ता दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नही होने के कारण रेस्पोडेन्ट आये दिन रास्ते मे छडियां हल लकडियां डालकर रास्ता बाधित करता है। जिससे विवाद होता है। अपीलान्टगगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना की, कि इस रास्ते को रेवेन्यू रेकार्ड जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज किया जावे। अपीलान्टगण प्रार्थीगण इस हेतु रेस्पोडेन्ट विपक्षी को रास्ते के लिये दर्ज होने वाली कृषि भूमि के लिये मुआवजा राशि अदा करने के लिये तैयार है। आदेशानुसार मुआवजा राशि जमा करने के लिये तैयार है। अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि के लिये राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस शपथ पत्र गवाहान के शपथ पत्र पर्चा मौका आदि प्रस्तुत किये फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपीलान्टगण प्रार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर मौजा करसाना तहसील डूंगला मे अपने खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात पर आने-जाने का मार्ग कायम कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट विपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त रास्ते के सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 04.08.2015 को प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 390,391 पर आवागमन हेतु आराजी नम्बर 403 मे से रास्ता चाहा गया है जिसको वैकल्पिक रास्ता बता दिया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता होना मानते हुए अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट विपक्षी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से मौजा करसाना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 390,391 पर आने-जाने हेतु आराजी नम्बर 403 की मेड पर रास्ता चाहा है जबकि आराजी नम्बर 410 मुख्य रास्ते पर है व आराजी नम्बर 410 की दक्षिणी मेड पर होकर आराजी नम्बर 411 मे होकर आराजी नम्बर 405 व 404 की पाली पर होकर रास्ता अपीलान्टगण प्रार्थीगण की आराजीयात तक पहूँचता है व उसी रास्ते से अपीलान्टगण प्रार्थीगण अपने पूर्वजो से आ जा रहे है। उक्त रास्ता पूर्व से मौजुद है। फिर भी अपीलान्टगण प्रार्थीगण आराजी नम्बर 403 की पूर्वी मेड पर नया रास्ता कायम कराना चाह रहे है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अत्यान्तिक आवश्यक होना नही मानते हुए अपीलान्टगगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिसम्मत होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार व कब्जेदार है। रेस्पोडेन्ट विपक्षी आराजी नम्बर 403 का खातेदार है। रेस्पोडेन्ट की आराजीयात की पूर्वी मेड पर अपीलान्टगण ने अपनी आराजी नम्बर 390 व 391 पर आने-जाने का रास्ता चाहते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट विपक्षी ने आराजी नम्बर 390,391 पर आने-जाने का रास्ता आराजी नम्बर 410,411,405 व 404 के मध्य मे होना बताया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट मे भी आराजी नम्बर 390 व 391 जो अपीलान्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी की है पर आने-जाने का रास्ता आराजी नम्बर 410 व 411 की दक्षिणी मेड व आराजी नम्बर 405 व 404 के मध्य मे होकर चालु होना बताया गया है। अपीलान्टगण प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजीयात पर इसी रास्ते से आना-जाना अंकित किया है। जिससे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे अपीलान्टगण प्रार्थीगण के लिये अन्य रास्ता जो सुविधा के लिये चाहा गया है अत्यान्तिक आवश्यक नही होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रार्थीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला प्रकरण संख्या 08/2012 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 13.07.2016 यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)